IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
27 अप्रैल 2024
द हिंदू
पेपर- II (राजव्यवस्था)

मशीन में भरोसा : सुप्रीम कोर्ट और ईवीएम

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए डाले गये मतों की 'पेपर ट्रेल' के 100 फीसदी सत्यापन की मांग सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकरा दिये जाने में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वर्तमान सत्यापन प्रणाली किसी लाइलाज खामी से ग्रसित है। पीठ के दो एकमत फैसलों ने उस विश्वास को दोहराया है जो न्यायपालिका ने चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी में अब तक बनाये रखा है, खासकर 'वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' या वीवीपैट लाये जाने के बाद। इस प्रक्रिया में, पीठ ने कागज के मतपत्रों (पेपर बैलेट) की ओर लौटने के विचार को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इस तरह का कदम वास्तव में प्रतिगामी होगा और पेपर बैलेट से जुड़े जोखिमों के खात्मे से हुए फायदों को निष्फल बनायेगा। यह पहली बार नहीं है जब शीर्ष अदालत ने स्थापित प्रणाली में दखलअंदाजी करने से इनकार किया है – इससे पहले एक मामले में उसने 'पेपर ट्रेल' के 50 फीसदी सत्यापन और एक अन्य मामले में 100 फीसदी सत्यापन का का आदेश देने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का इस्तेमाल वर्तमान प्रणाली में मौजूद प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षात्मक-उपायों की समीक्षा करने के लिए किया और ऐसा कुछ नहीं पाया जो इसमें उसके विश्वास को कमजोर करता हो। अदालत द्वारा दिये गये दो निर्देश दूसरी गंभीर आशंकाओं से निपटने के लिए हैं। उसने नतीजों के एलान के बाद 45 दिनों तक 'सिंबल लोडिंग यूनिटों' को महफूज रखने को कहा है। उसने यह भी कहा है कि हारने वाले दो शीर्ष उम्मीदवार प्रति विधानसभा क्षेत्र पांच फीसदी ईवीएम के माइक्रो-कंट्रोलरों के सत्यापन की मांग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई छेड़छाड़ हुई हो तो वह पकड़ में आ सके।

वर्ष 2013 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए 'पेपर ट्रेल' एक अनिवार्य जरूरत है"। एक अन्य मामले में, उसने वीवीपैट सत्यापन के लिए मतदान केंद्रों की संख्या प्रति विधानसभा क्षेत्र या खंड में एक से बढ़ाकर पांच करने का पक्ष लिया। 'पेपर ऑडिट ट्रेल' इन आशंकाओं के जवाब में लायी गयी कि मतदाताओं के पास यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था कि उनका मत सही-सही दर्ज हुआ या नहीं। यह थोड़ा विडंबनापूर्ण है कि इस तरह के डर से निपटने के लिए जो सत्यापन प्रणाली लायी गयी वह खुद विवाद का विषय बन गयी है कि 'पेपर ट्रेल' का किस हद तक सत्यापन किया जाए। अपनी राय में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ये सुझाव दर्ज किये हैं कि वीवीपैट पर्चियों को मशीनों के जरिए गिना जा सकता है, और भविष्य में गिनती आसान बनाने के लिए वीवीपैट इकाइयों में लोड किये गये चुनाव चिन्हों को बारकोड से लैस किया जा सकता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस तरह के तकनीकी उन्नयन से ही चुनाव प्रक्रिया संदेह-मुक्त बन सकती है। गौर करने लायक ज्यादा बड़ी बात यह है कि संभावित हेराफेरी की आशंकाएं व संदेह इशारा करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग में अविश्वास का यह स्तर पहले कभी नहीं देखा गया। मतदान और मतगणना की प्रणाली में मतदाता का विश्वास एक चीज है, मगर चुनाव निगरानी-संस्था को निष्पक्ष संस्था के रूप में देखा जाना बिल्कुल दूसरी।

क्या है सिंबल लोडिंग यूनिट और कैसे काम करती है?

वीवीपीएटी मशीन ईवीएम में जोड़ी गई एक अतिरिक्त सुविधा है जो मतपत्र इकाई पर वोट डालने के बाद उम्मीदवार का नाम, प्रतीक और क्रमांक प्रिंट करती है। ईवीएम नियंत्रण इकाई और मतपत्र इकाई में वास्तव में उम्मीदवारों के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है, सिस्टम केवल क्रम संख्या के विरुद्ध वोटों को रिकॉर्ड करता है। हालाँकि, वीवीपीएटी की शुरुआत के साथ, सिस्टम में उम्मीदवार की जानकारी लोड करने की आवश्यकता होती है।

यह कार्य सिंबल लोडिंग यूनिट से किया जाता है, यह एक छोटा उपकरण है जो उम्मीदवारों की जानकारी वीवीपैट मशीन में लोड करता है। इसलिए, जबकि मतदाता मतदान केंद्र पर तीन इकाइयाँ देखते हैं, ईवीएम नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई और वीवीपीएटी

प्रिंटर, इस प्रक्रिया में एक चौथा उपकरण भी शामिल होता है, सिंबल लोडिंग यूनिट। हालाँकि, यह उपकरण मतदान के दौरान वीवीपैट से जुड़ा नहीं होता है, इसका उपयोग केवल मतदान से पहले उम्मीदवारों के नाम और प्रतीकों को वीवीपैट मशीनों में लोड करने के लिए किया जाता है।

वीवीपैट मशीनें सीरियल नंबर के साथ उम्मीदवारों के नाम और उनके प्रतीकों की छवि फाइलों को संग्रहीत करती हैं, और इसे चुनाव से पहले मशीन में लोड करने की आवश्यकता होती है। सिंबल लोडिंग यूनिट इस कार्य को पूरा करने के लिए एक इंटरफेस के रूप में काम करती है। आवश्यक नाम और प्रतीक छवि फाइलें प्राप्त करने के लिए SLU को पहले कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर से एसएलयू में फाइलें डाउनलोड होने के बाद, इसे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और एक समर्पित केबल और पोर्ट का उपयोग करके वीवीपीएटी से जोड़ा जाता है।

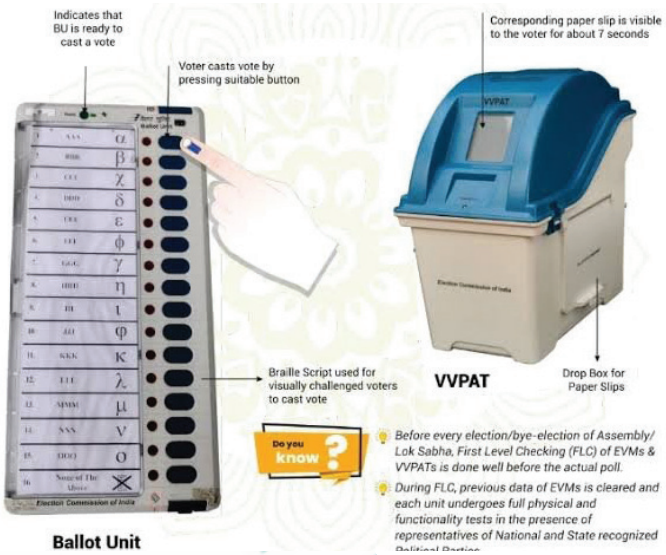

उसके बाद मेनू से संबंधित विकल्पों का चयन करके नाम और प्रतीकों को वीवीपैट मशीनों पर लोड किया जाता है। लोडिंग के बाद, एसएलयू को वीवीपैट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसमें पहले से संग्रहीत डेटा का उपयोग करके अन्य वीवीपैट के साथ प्रक्रिया को दोहराने के लिए उपयोग किया जाता है। लोडिंग के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं कि मशीन पर्चियों को सही ढंग से प्रिंट कर रही है।

जबकि प्रत्येक मतदान केंद्र को एक वीवीपैट मशीन की आवश्यकता होती है, एक एकल एसएलयू का उपयोग कई वीवीपैट में प्रतीकों को लोड करने के लिए किया जाता है। चूंकि एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी बूथों पर समान क्रम संख्या वाले एक ही उम्मीदवार होते हैं, इसलिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी वीवीपैट के लिए एक ही एसएलयू का उपयोग किया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : भारत में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारत में इसे पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में पेश किया गया था।
2. वीवीपीएटी का स्टेटस डिस्प्ले यूनिट ईवीएम से जुड़ा होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) in India.

1. It was introduced for the first time in India in the 2014 Lok Sabha elections.
2. The status display unit of VVPAT is connected to the EVM.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: वर्तमान समय में भारत में चुनाव कराने को लेकर ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर क्या विवाद है? इस विवाद का भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के संदर्भ में विश्लेषण करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में वर्तमान समय में ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर मौजूद विवाद की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इस विवाद का चुनाव आयोग और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के संदर्भ में विश्लेषण करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।